

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर

नय

बनाम

रेस्पोंडेंटस

ग्राम पंचायत बस्सी व अन्य

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

1/2020
 क आज्ञा या
 कार्यवाही
 0.2020

अपीलाण्ट की ओर अपील अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा विरुद्ध रेस्पोंडेंटस अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम ग्राम बस्सी के नामान्तरण संख्या 1071 दिनांक 14/05/1993 को निरस्त करने हेतु पेश हुआ। अपीलाण्ट की अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंटस दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंटस के जरिये रजि० एडी नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 01/12/2020 को पेश हो।

183
 2/11/2020
 को 12/12/20

Kan
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट
 बस्सी, जयपुर

1/12/20

पत्रावली साज पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित होकर वादी द्वारा चाहे गए उद्युतोष को दिये जाने हेतु सहमत व्यक्त की। पत्रावली साजगी कार्यवाही हेतु दिनांक 3/12/2020 को पेश है।


 कि० जी० शर्मा

Kan
 उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला-जयपुर

3/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा ऑलेसन/कार्य रश्मित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 4/12/2020 को पेश हो।

7/12/2020

पत्रावली आज वास्ति अधिवक्ता हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट एवं रेस्पोंडेंटस संख्या 2 उपस्थित। रेस्पोंडेंटस 2 के द्वारा पूर्व में न्यायालय आज भी उपस्थित होकर अपीलाण्टस

Kan
 उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बस्सी जिला-जयपुर


के द्वारा चाँदों गैर अडोप्य हेतु स्वीकृती दी गई
 व स्वच्छता एवं सख्ती स्वयं जागवली पर जावली
 पर एवं के द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र को धामा
 त्रिपेक्षा की व साथ ही व्यापक एवं धामा की वद
 आदेशिका पर अग्र्य निम्नानी की गई। एकपत्रचात
 जागवली एवं जावली पर उपस्थित पत्रों को
 सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। अपील के
 लिये इस प्रकार है कि वाप गला आराजी खासरा
 नं० 804, 806, 805, 807, 788, 2357, 2358
 कुल रक्का 11 बीघा 8 बिस्वा स्थित ग्राम वरसी
 में अपीलार्थ के पिता/पिताक पिता व रेस्पीडेन्ट्स 2
 के पुत्रों एवं धाण्डलाल द्वारा अण्ठाराम को 1/15 हिस्सा
 के रिफाउंड वोटदा का इलाका है। धाण्डराम की मृत्यु
 के बाद हलाका परवारी के द्वारा नामान्तरकरण केवल
 और रेस्पीडेन्ट्स संख्या 2 के ही नाम भर दिया गया था
 व माताकालीन सरपंच के द्वारा मास्किंग कर दिया
 गया था जबकी अपीलार्थ के पक्ष में रेस्पीडेन्ट्स
 संख्या 2 के द्वारा रिफाउंड वोटदा का उपनिष्पन्न वरसी
 मैथम के कार्यालय में पंजिबद करा दिया गया था
 अपीलार्थस का रेस्पीडेन्ट्स संख्या 2 गौदधर जावली
 पर प्रस्ताव गौदनाम से बना वरुकी सक्ति होता है तथा
 रेस्पीडेन्ट्स संख्या 2 के द्वारा भी सख्ती व्यक्त कर दी
 गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधारे पर यह स्पष्ट
 होता है कि अपीलार्थस को हलाका परवारी एवं माताकालीन
 सरपंच के द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही करती समय
 उपरोक्त का अक्सर नहीं दिया है। अतः अपील अपीलार्थस को
 आपहित में स्वीकार किया जाने के आदेश दिए जाते हैं।
 व अपीलार्थिन नामान्तरकरण संख्या 1071 दिनांक

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट
 बरसा जिला-जयपुर

14/5/1993 को बिरला किता पाकर
 पत्रावली गहरीलावाट बरसी को निर्णय की
 पालना हेतु निर्देशात्मक आदेश के परिधीयता
 अपील रिमाण्ड की जाती है कि अतक धामुलाल
 अथवा अणाराम के वरीयान की सिममअशताट जोष्य एवं
 कार्यवाही कर लाइलाहा आजाजी के सर्वोच्च
 में अपीलारस के नामान्तरकरण की कार्यवाही
 कर सिममअशताट अपीलारस व रीपीटिटरस
 संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरकरण करने
 परीक्षक करे !

पत्रावली जैसल सुमाट होकर पत्र नम्बरस
 कम होने पर पर्यल पजता है।

निर्णय आज दिनांक 4/12/2020 को सुप्रीममालय
 एवं सीर इजलास सुनाया गया।


 उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
 बरसी जिला-जयपुर